एजेंसी कमीशन के संबंध में मास्टर परिपत्र

1. एजेंसी कमीशन – संशोधित दरें

(i) **[आरबीआइ/2005-06/77 (डीजीबीए.जीएडी. सं.379/31.12.010(सी)/2005-06) दिनांक 25 जुलाई 2005]**

(ii) **[आरबीआइ/2005-06/384 (डीजीबीए. जीएडी.सं.17585/31.12.010(सी)/2005-06) दिनांक 8 मई 2006]**

एजेंसी बैंकों को देय एजेंसी की दरें हमारे परिपत्र[आरबीआइ/2005-06/77(डीजीबीए. जीएडी. सं.379/31.12.010(सी)/2005-06 दिनांक 25 जुलाई 2005)] के अनुसार 1 जुलाई 2005 से परिशोधित करके कुल बिक्री (टर्नओवर) (मूल्य) आधार से लेनदेन आधार (ट्रांजेक्शन बेसिस) में परिवर्तित कर दी गई हैं। बैंकों से प्राप्त अभिवेदनों के आधार पर इस संबंध में एक समीक्षा की गई थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दरों में निम्नानुसार आशोधन किया जाए। आशोदित दरें 1 जुलाई 2005 से लागू होंगी।

क) प्राप्तियाँ: 45/- रुपये प्रति लेनदेन

ख) पेंशन को छोड़कर अन्य भुगतान: 9 पैसे प्रति
100 रुपये के टर्न ओवर पर

ग) पेंशन भुगतान: 60/- रुपये प्रति लेनदेन

एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी पेंशनरों को बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवा पर विशेष ध्यान के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाएगी।

चूंकि प्राप्तियों और पेंशन भुगतानों पर एजेंसी कमीशन 'प्रति लेनदेन' आधार पर देय है, एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऐसे कमीशन का दावा पेश करने के लिए आवश्यक रिकार्ड रखें। उसे किसी भी समय सत्यापन के लिए रिज़र्व बैंक अथवा उसकी प्राधिकृत एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा। लेनदेनों की संख्या की गणना करने के लिए, सरकारी लेखा प्राधिकारियों को पेश की गयी दैनिक शाखा सूचि (स्क्रोल) की गणना की जाएगी। त्रुटि सूचियों (एरर स्क्रोल्स) में रिपोर्ट किये गये लेनदेन एजेंसी कमीशन के लिए पात्र नहीं होंगे। एक निर्धारिती के रुप में विभिन्न करों की वसूली/भुगतान के लिए बैंक की अपनी सांविधिक देयता के संबंध में लेनदेन एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए योग्य नहीं होंगे। कमीशन का दावा पेश करते समय बैंकों द्वारा इस आशय का निर्धारित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना 1968 तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस)

[आरबीआइ/2006-07/289(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-14024/31.12.010/2006-07) दिनांक 16 मार्च 2007]

पीपीएफ और एससीएसएस का कार्य करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी कमीशन के भुगतान की भारत सरकार से परामर्श करने पर मुद्दे की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि पीपीएफ और एससीएसएस के अंतर्गत संचालित लेनदेनों के लिए बैंकों को मेहनताने के भुगतान के लिए एक ही चैनल का पालन किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक पीपीएफ और एससीएसएस से संबंधित लेनदेनों के लिए निम्नलिखित दरों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करेगा:

क) प्राप्तियाँ: 45/- रुपये प्रति लेनदेन

ख) भुगतान: 9 पैसे प्रति 100 रुपए टर्नओवर

उपरोक्त दरों में संशोधन के साथ भारत सरकार पीपीएफ और एससीएसएस का प्रबंधन करने हेतु मेहताने के भुगतान को बंद कर देगी।

3. पीपीएफ और एससीएसएस लेनदेनों पर बैंकों द्वारा एजेंसी कमीशन दावे

[आरबीआइ/2006/07/408 (डीजीबीए.सीडीडी.सं.एच-16532/15.15.001/06-07) दिनांक 21 मई 2007]

पीपीएफ और एससीएसएस लेनदेन के संबंध में एजेंसी कमीशन का दावा करने की एक समान प्रथा लाने की दृष्टि से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए और एजेंसी कमीशन का दावा करने हेतु फार्मेट निर्धारित किया गया। सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि अनुबंध I और II के फार्मेट में पीपीएफ और एससीएसएस के संबंध में एजेंसी

कमीशन का दावा करें और अनुबंध ।।। में दावे का सारांश प्रस्तुत करे। दिनांक 1 जुलाई 2005 से पीपीएफ पर और दिनांक 1 अप्रैल 2006 से एससीएसएस पर एजेंसी कमीशन देय है। दिनांक 31 मार्च 2007 तक देय ऐसे सभी दावों के साथ बकाया राशि दिनांक 10 जून 2007 तक एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाए। चूंकि देय एजेंसी कमीशन के लिए केवल एक चैनल होगा इसलिए भारत सरकार द्वारा यदि कोई पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका हो तो उसे बैंक द्वारा वसूल कर लिया जाएगा।

4. एजेन्सी कमीशन के लिए पात्र सरकारी लेनदेन

[आरबीआइ/2004/305(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2625-2658/31.12.010(सी)/2004-05) दिनांक 17 दिसंबर 2004]
निम्नलिखित लेनदेन एजेंसी कमीशन के लिए पात्र होंगे:

- केन्द्र/राज्य सरकारों की ओर से राजस्व प्राप्तियां और भुगतान
- केन्द्र/राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन का भुगतान
- अनिवार्य जमा योजना(एसडीएस)1975, लोक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ)
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
- अन्य ऐसा कोई कार्य जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रुप से एजेंसी कमीशन के लिए पात्र रुप में सूचित किया गया हो (जैसे राहत बांड/बचत बांड इत्यादि लेनदेन)

वित्तिय संस्थाओं और बैंकों इत्यादि से सीधे उगाहे गये राज्य सरकारों के अल्पावधि/दीर्घावधि उधार एजेंसी कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि ये लेनदेन सामान्य बैंकिंग कारोबार की प्रकृति के नहीं माने जाते हैं। लोक ऋण के प्रबंध के लिए एजेंट के रुप में कार्य करने हेतु रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को यथा सहमत दर पर अलग से पारिश्रमिक अदा करता है। हम इस बात को दोहराते हैं कि मंत्रालयों/विभागों इत्यादि की ओर से बैंकों द्वारा खोले गये ऋण पत्र (एल/सी) से होने वाले लेनदेन एजेंसी कमीशन के लिए योग्य नहीं होंगे।

सभी एजेंसी बैंक टर्नओवर कमीशन (टीओसी) का दावा करते समय इस आशय का एक प्रमाणपत्र करेंगे कि अपात्र लेनदेनों पर टीओसी का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. एजेंसी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार के आयकर/ अन्य प्रत्यक्ष कर और व्यवसाय कर/अन्य कर स्वीकार करने हेतु योजना
[आरबीआइ/2004/64(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-41/ 42.02.001/2003-04) दिनांक 22 जुलाई 2004]
[आरबीआइ/2004/248(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1225-1258/42.02.001/2004-05)दिनांक 27 अक्तूबर 2004]
[आरबीआइ/2004-05/344(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3613/42.01.001/2004-05)दिनांक 13 जनवरी 2005]

एजेंसी बैंक जो अपनी स्वयं की कर देयताएं अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से अथवा जहां कहीं उनकी स्वयं ही सीधे वसूली हेतु प्राधिकृत शाखाएं न होने की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के माध्यम से अदा कर रहे हैं, उन्हें वैसा स्क्रौल में अलग से उल्लेख करना चाहिए। ऐसे लेनदेन एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंकों को एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करते समय इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उनके द्वारा चुकायी गयी उनकी स्वयं की कर देयताएं (स्त्रोत पर काटे गए कर [टीडीएस], निगम कर, इत्यादि) इसमें शामिल नहीं हैं।

6. एजेंसी कमीशन पर टी डी एस की कटौती

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-190/31.12.010/2003-04 दिनांक 14 सितंबर 2003]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा अदा की गयी अथवा उसके द्वारा अपने एजेंटो को दी गयी एजेंसी कमीशन की राशि पर कर की कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, यह बात दोहरायी जाती है कि संबंधित बैंकों के हाथ में आने पर एजेंसी कमीशन की राशि कर-योग्य होगी क्योंकि वह बैंक

की आय का ही भाग है।

7. एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान – बैंकों द्वारा एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

[आरबीआइ/2005/147 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-751/ 31.12.010(सी)/2005-06) दिनांक 30 अगस्त 2005] और [डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-19378/31.12.010(सी)/ 2005- 06 दिनांक 6 जून 2006]
[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-754/31.12.010(सी)/2005-06 दिनांक 30 अगस्त 2005]

एजेंसी बैंको द्वारा (भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त) एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने के लिए एक फार्मेट तैयार किया गया है। इसके अलावा राहत बांड/बचत बांड के संबंध में ब्याज और/अथवा मोचन मूल्य अदा करने के संबंध में एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने के लिए भी एक अलग फार्मेट तैयार किया गया है। एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन के लिए अपना दावा निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भारतीय स्टेट बैंक अपना दावा दिनांक 6 जून 2006 के परिपत्र द्वारा यथा संशोधित दिनांक 30 अगस्त 2005 के हमारे पत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-754/31.12.010(सी)/ 2005-06 में निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करेगा।

8. एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन दावे-सामान्य अनियमितताएं – गलत दावों के लिए दण्डात्मक ब्याज लगाना

[आरबीआइ/2005/193 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-4530/ 31.12.010(सी)2005-06) दिनांक 27 अक्तूबर 2005]
[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11136/31.12.010(सी)/2005-06 दिनांक 31 जनवरी 2006]
[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-13118/31.12.010(सी)/2005-06 दिनांक 2 मार्च 2006]

कुछ एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन दावों का हमारे द्वारा अकस्मात् सत्यापन करने पर पायी गयी सामान्य अनियमितताओं के बारे में एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था। बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे एजेंसी कमीशन के लिए दावे प्रस्तुत करते समय उचित सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि वे बिल्कुल ठीक हैं। गलत दावों से बचने की दृष्टि से, उन्हें अपने आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षक से उक्त जानकारी को प्रमाणित करवा लेना चाहिए। एजेंसी बैंकों को निपटाये गये एजेंसी कमीशन के किन्हीं गलत दावों के लिए बैंक दर (प्रतिवर्ष 1 मई और 1 नवंबर की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित)+2% की दर पर दण्ड ब्याज अदा करना होगा।

9. विशेष जमा योजना पर एजेंसी कमीशन

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.11794/31.12.010(सी)/2005-06 दिनांक 13 फरवरी 2006]

एस डी ऍस – 1975 के अंतर्गत लेनदेन 'पेंशन को छोडकर अन्य भुगतानों' के बराबर एजेंसी कमीशन के लिए योग्य हैं। इस प्रकार, एजेंसी बैंकों को ऐसे लेनदेनों पर प्रति 100 रुपये की कुल खरीद (टर्नओवर) पर 9 पैसे की दर से एजेंसी कमीशन की पात्रता है। चूंकि इस योजना के अंतर्गत अब नयी जमाराशियों की आगे अनुमति नहीं है, एसडीएस-1975 के अंतर्गत वर्तमान में निम्नलिखित लेनदेन होंगे-

क) निधि से अनिवार्य आहरणों के लिए जब भी कभी अनुरोध प्राप्त होता है, उसकी अनुमति प्रदान करना;
ख) वार्षिक दरों पर ब्याज भुगतान और
ग) इस योजना में किये गये प्रावधान के अनुसार खाता बंद करना।

10. पेंशन लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.13034/31.12.010(सी)/2006-07 दिनांक 27 फरवरी 2007]

एजेंसी बैंक प्रति लेन देन रु.60/- की दर से एजेंसी कमीशन का दावा करने के लिए केवल तब पात्र होंगे जब उनके

द्वारा पेंशन के आकलन का संपूर्ण कार्य किया जाएगा। यदि पेंशन आकलन से संबंधित संपूर्ण कार्य संबंधित सरकारी विभाग/कोषागार द्वारा किया गया हो और बैंकों द्वारा केवल उन्हें सरकारी खाते से एकल नामे द्वारा पेंशनर के खातों में जमा करना आवश्यक हो, ऐसे लेनदेन को 'पेंशन भुगतान के अलावा भुगतान' के अंतर्गत संवर्गीकृत किया जाए और वे 9 पैसे प्रति 100/-रुपए टर्नओवर की दर से एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र होंगे।

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-190/31.12.010/ 2003-04	सितम्बर 14, 2003	एजेंसी कमीशन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
2.	आरबीआइ/2004/64(डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-41/42.02.001/ 2003-04)	22 जुलाई 2004	एजेंसी बैंकों के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर (केन्द्र सरकार) तथा राज्य सरकारों के व्यवसाय कर/अन्य कर स्वीकार करने की योजना
3.	आरबीआइ/2004/248 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1225-1258/42.02.001/2004-05	27 अक्तूबर 2004	एजेंसी बैंकों के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर (केन्द्र सरकार) तथा राज्य सरकारों के व्यवसाय कर/अन्य कर स्वीकार करने की योजना
4.	आरबीआइ/2004/305 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2625-2658/31.12.010(सी)2004-05	17 दिसंबर 2004	एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कार्य करने के लिए पारिश्रमिक-लेनदेन कमीशन का भुगतान
5.	आरबीआइ/2004-05/344 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3613/ 42.01.001/2004-05)	13 जनवरी 2005	एजेंसी बैंकों के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर (केन्द्र सरकार) तथा राज्य सरकारों के व्यवसाय कर/अन्य कर स्वीकार करने की योजना
6.	आरबीआइ/2005-06/77(डीजीबीए.जीएडी.सं.379/31.12.010(सी)/2005-06)	25 जुलाई 2005	एजेंसी कमीशन –दरों में संशोधन
7.	आरबीआइ/2005/147 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-751/31.12.010(सी)/2005-06)	30 अगस्त 2005	

	(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-19378/ 31.12.010(सी)/2005-06) डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-754/ 31.12.010(सी)/2005-06)	6 जून 2006 30 अगस्त 2005	बैंकों द्वारा एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट
8.	आरबीआइ/2005/193 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-4530/31.12.010 (सी)/2005-06) (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11136/31.12.010 (सी)/2005-06 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-13118/31.12.010 (सी)/2005-06)	27 अक्तूबर 2005 31 जनवरी 2006 2 मार्च 2006	एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन के दावे – सामान्य अनियमिताएं
9.	(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11794/31.12.010 (सी)/2005-06)	13 फरवरी 2006	विशेष जमा योजना के संबंध में एजेंसी कमीशन
10.	आरबीआइ/2005-06/384(डीजीबीए.जीएडी.सं.17585/31.12.010 (सी)/2005-06)	8 मई 2006	सरकारी कारोबार करना – एजेंसी कमीशन दरों में संशोधन
11	(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-13034/ 31.12.010/2006-07)	27 फरवरी 2007	पेंशन भुगतान के संबंध में एजेंसी कमीशन
12	आरबीआइ/2006-07/289 (डीजीबीए.जीएडी. एच-14024/31.12.010/2006-07)	16 मार्च 2007	लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस) के लिए एजेंसी कमीशन
13	आरबीआइ/2006-07/408(डीजीबीए.सीडीडी.एच-16532/15.15.001/ 2006-07)	21 मई 2007	पीपीएफ और एससीएसस के दावों के लिए फार्मेट